In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographers Grade I in level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400/- with five years regular service in the grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1) Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services – Chairman; 2) Deputy Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services – Member; 3) An Officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. DFSS/38(02)/2013]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

सा.का.नि.09.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1975 को, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड.2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में आशुलिपिक ग्रेड.2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (आशुलिपिक ग्रेड-2, वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनूसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड-2	20* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर.4 (25500-81100 रु)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रिय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशो या अनुदेशो के अनुसार सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविघालय से 12वीं कक्षा पास या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती **टिप्पण:-** एक वर्ष या उससे अधिक की

उसके समतुल्य; (ii) कौशल परीक्षण मानदंड 'केवल कम्प्यूटर पर': **श्रुतलेखन** : 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से । **लिप्यंकन:** 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)			अवधि के लिए प्रतिस्थापन या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के तहत होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के सदृश पदों को नियमित आधार पर धारण कर रहे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरे जा सकते हैं, जो स्तम्भ 8 पर विहित सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय/पुष्टि समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) कार्यालया प्रधान, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष ; (2) प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; (3) न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय कैडर में कोई समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. डीएफएसएस/38(10)/2014]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 20th January, 2020

G.S.R. 09 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Class III Posts) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Stenographer Grade II post in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

   (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services (Stenographer Grade II, Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** .—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matter relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

   a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade II	20*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level 4 in the pay matrix Rs. 25500-81100	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the CentralGovernment). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill test norms 'only on computers': **Dictation:** 10 minutes @ 80 words per minute. **Transcription:** 50 minutes (English). 65 minutes (Hindi).	Not applicable	Two years	Direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Head of Office, Directorate of Forensic Science Services– Chairman; (2) Administrative Officer/ Section Officer, Directorate of Forensic Science Services – Member; (3) Any Group 'B' Gazetted Officer in Directorate of Forensic Science Services Cadre – Member.	Not applicable.

[F. No. DFSS/38(10)/2014]

NARENDER KUMAR,Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 0.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, ज्येष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः